न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–45 / 2013–14

विश्वनाथ प्रसाद वगैरह बनाम विजय कुमार वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
20/9/18	आदेश	

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16 / 2012–13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–05.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

(1) विश्वनाथ प्रसाद, पिता स्व0 हरदेव राय

(2) श्याम सुन्दर राय, पिता स्व0 ब्रह्मदेव राय,

(3) रंजीत कुमार,

(4) संजीत कुमार, दोनों पिता स्व0 रामजी राय, सभी ग्राम–टिल्लु टोला, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना।

द्वितीय पक्ष

(1) विजय कुमार, पिता बालेश्वर राय,

(2) बालेश्वर राय, पिता स्व0 भोन्दु गोप, दोनों ग्राम–टिल्लु टोला, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
बिहटा	बाघपुर	72	94	260 629	09 डी0 47 डी0

यह वाद दिनांक 19.06.2018 को बहस हेतु सुचिबद्ध था। उक्त तिथि को आवेदकगण की हाजरी पड़ी परन्तु सुनवाई पर अनुपस्थित पाये गये। उक्त तिथि को यह आदेश पारित किया गया कि अगली तिथि को आवेदक उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते है तो एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा। उसके बाद की निर्धारित तिथि 04.08.2018 को न्यायालय की कार्रवाई नहीं हो सकी। आज दिनांक–20.09.18 को आवेदकगण की तरफ से हाजरी दी गयी, परन्तु सुनवाई हेतु पुकार किये जाने पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित पाये गये। फलतः विपक्षीगण के अधिवक्ता को सुनकर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदकगण की याचिका के अनुसार

(1) विवादित भूखण्ड के खतियानी रैयत बलम गोप, पिता गणेशी गोप थे। इस वाद के उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। विवादित भूखण्ड में आवेदकगण का आधा–हिस्सा होता है।

(2) आवेदकगण के द्वारा विवादित मौरूसी सम्पति के आधा हिस्सा के दाखिल खारिज के लिए अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 7062 / 2011–12 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा गलत तथा भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(3) अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0

7062/2011–12 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/2012–13 दायर किया गया।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा आवेदकगण के आधे हिस्से के तथ्य को दरकिनार करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(5) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/2012–13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 05.07.2013 को पारित आदेश को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए, उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के द्वारा दाखिल अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि:–

(1) यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) यह मामला दो पक्षों के बीच हिस्सा के बंटवारा को लेकर है, जिसका निदान राजस्व न्यायालय से नहीं हो सकता।

(3) विवादित भूखण्ड उन्हें बंटवारा एवं उतराधिकार से प्राप्त है, जिसके लिए उनकी जमाबंदी कायम है।

(4) आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड में से आधे हिस्से पर दावा करते हुए दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के उपरान्त यह पाया गया कि यह मामला दो पक्षों के बीच हिस्सा के निर्धारण का है। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।

(5) अंचलाधिकारी, बिहटा के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/2012–13 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

(6) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/12–13 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 05.07.2013 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। यह पुनरीक्षण आदेश रद्द करने योग्य है।

आवेदकगण की याचिका विपक्षीगण के द्वारा दायर प्रतिउतर एवं दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/2012–13 में दिनांक 05.07.2013 को पारित आदेश का अंवलोकन किया।

आवेदकगण द्वारा विवादित भूखण्ड के आधा हिस्से पर दावा करते हुए दाखिल खारिज का आवेदन अंचलाधिकारी, बिहटा को दिया गया। अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा इसे हिस्सा निर्धारण का मामला बताते हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा भी उभय पक्ष को सुनकर समीक्षोपरान्त इसे विशुद्ध रूप से बंटवारा का मामला माना गया है। बंटवारा की शक्ति राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके लिए आवेदकगण सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 16/2012–13 में दिनांक 05.07.2013 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/3/18	20/3/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी)	(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना	अपर समाहर्त्ता,पटना